(1)

पत्रांक 10/म4-16/2002मा0-- 70.... :

बिहार सरकार,
मानव संसाधन विकास विभाग ।

प्रेषक,

श्री हेमचन्द्र झा
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सचिव,
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र, कम्यूनिटी सेन्टर, प्रीत विहार,
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि 29-8-05 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित निजी विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया:-

1. रिजनल सेकेन्ड्री स्कूल, गांधी चौक मधुबनी	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया ।
2. डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल, रतवार, भभुआ (कैमूर)	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया ।
3. डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल, अशोकनगर, अशोक टॉकिज हॉल रोड, जमुई	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया ।
4. डिवाईन पास्कल स्कूल, बी0पी0 पाकड़ दरभंगा ।	इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि विद्यालय के द्वारा सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व विद्यालय में कार्यरत तीन अप्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षित हो जायेंगे या विद्यालय प्रबंधन द्वारा उनके स्थान पर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जायेगी ।
5. दरभंगा सेन्ट्रल स्कूल, कमलागढ़ दरभंगा	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि विद्यालय सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व भवन संबंधी शर्तें पूरा कर लेगा ।

:पी0टी0ओ0:

Headmaster
D.A.V. Public School
Jamui

6. आदर्श [illegible], स्टेशन रोड, बाढ़, पटना	इन शर्तों पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि विद्यालय के द्वारा सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने से पूर्व विद्यालय में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षित हो जायेंगे अथवा उनके स्थान पर पूर्णतः प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कर लेंगे ।
7- मानव विद्यालय [illegible] रोड, सहरसा	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय इन शर्तों पर लिया गया कि विद्यालय सी0बी0 एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने से पूर्व भवन संबंधी शर्तें पूरा कर लेगा तथा विद्यालय के अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करा लेगा अथवा उनके स्थान पर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगा ।
8- दिव्यप्रकाश मिशन स्कूल, [illegible] रोड, [illegible], बिहटा	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय इन शर्तों पर लिया गया कि निर्धारित मापदंड के आधार पर बिहटा में भवन निर्मित कर, अथवा बिहटा में ही निर्धारित मापदंड के अनुरूप लीज पर भवन लेकर विद्यालय संचालित करना प्रारम्भ कर दें तथा विद्यालय के अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित कर दें अथवा उनके स्थान पर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कर लें ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर)

(हिमचन्द्र झा)
सरकार के अपर सचिव ।

(कृपा)

ज्ञापांक 702 : पटना, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2- शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-कम एक बार बाद विद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा ।

3- निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/वापस करने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है:-

(क) विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को राज्य सरकार के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान में अधिक विलम्ब किया जा रहा हो;

Headmaster
D.A.V. Public School
Jamul

(क्रमशः) पृ0-3

(ख) अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जाली पाए जाने अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर ।

(ग) विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस मद के लिए राशि की व्यवस्था हो उसे दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो ।

(घ) विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो जिससे समाज में विभिन्न सम्प्रदायों के बीच कटुता पैदा हो ।

(ङ) सी०बी०एस०ई० मानदंड के अनुरूप भवनों में सी०बी०एस०ई० मापदंड के अनुरूप विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर ।

(हेमचन्द्र झा)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक 702 पटना, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

प्रतिलिपि सचिव/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/अपर सचिव/विषय के प्रभारी उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक 702 पटना, दिनांक 22-10-05

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

Headmaster
D.A.V. Public School
Jamui

DAV PUBLIC SCHOOL

ASHOK TOWN HALL ROAD, JAMUI - 811 307 (BIHAR)
A Sr. Secondary English Medium Co-Educational School
(Affiliated to Central Board of Secondary Education, Delhi up to +2 Level, Affiliation No. - 330178)
Tel No. 06345 224272 (O), Email : dav_jamui@rediffmail.com

Ref. No. DAV/PS/Jamui/1247

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Date 01/12/2021

To,
The District Education Officer
Jamui (Bihar)

Subject- Request for renewal of existing NOC received in 2005 issued by the State Administration ,Bihar

Respected Sir,

This is to inform you that the institution DAV Public School, Jamui received NOC in the year 2005 issued by the State Administration, Bihar . During physical verification of the documents the institution was guided by the CBSE official to go for 'Time Bound NOC' from the State Administration. Therefore, this is a request to you kindly to issue the same and oblige.

Looking forward to your kind cooperation and consideration.

Yours faithfully,
With regards,

01/12/21

Encl-A copy of NOC received in 2005

01.12.21
Principal
(Ram Kumar)

Principal
DAV PUBLIC SCHOOL
CBSE Aflt. No. 330178
Ashok Town Hall Road
Jamui 811307